[2021] 9 एस. सी. आर. 1009

एन. जी. ए. टी. एल. एन. जी. धार

बानाम

पानना प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर

प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील Nos.3665-3666)

17 दिसंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवई, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

अनियमितता '-जब नहीं-कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) कॉर्पोरेट ऋणदाता के संबंध में शुरू की गई-समाधान योजनाएंसहित चार संभावित समाधान आवेदकों से प्राप्त किए गए थे अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं। 2 और अन्य दो-की बैठक में ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.), अपीलार्थी एच-1 बोलीदाता के रूप में उभरा सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित अपीलार्थी की समाधान योजना एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित-प्रतिवादी संख्या 1-ने तर्क दिया कि सी. ओ. सी. के समक्ष कार्यवाही में उसने अपनी संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय मांगा था और तदनुसार उसे प्रस्तुत किया था -

(आर. पी.) अपनी संशोधित समाधान योजना को दर्ज करने के लिए-द्वारा अस्वीकृत एन. सी. एल. टी.-आर. पी. ने द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी मांगी अपीलार्थी-एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमत-दोनों आदेशों द्वारा चुनौती दी गई उत्तरदाता नं। 1 एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष-अपीलों की अनुमति-आयोजित:सीओसी के व्यावसायिक ज्ञान में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यह है केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसे चुनौती दी जा सकती है यदि

उक्त कार्यवाहियों में कोई भौतिक अनियमितता है -

वर्तमान मामले में, सी. ओ. सी. ने सभी चार संभावित समाधान आवेदकों की समाधान योजनाओं का मूल्यांकन किया-सभी को समान अवसर प्रदान किया गया था-हालांकि, प्रतिवादी नं। 1 , अपनी बोली में सुधार किए बिना

राशि, अधिक समय के लिए जोर देती रही-द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत था भौतिक अनियमितता-एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्णय में हस्तक्षेप करने में गलती की

सी. ओ. सी. जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था-विवादित

फैसला अलग कर दिया गया।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 30 (2) , 61 (3) –

आयोजित किया गया: ऋणदाताओं की समिति (सी. ओ. सी.) द्वारा नियत समय के बाद व्यक्त की गई राय मतदान के माध्यम से बैठकों में विचार-विमर्श, मतदान शेयरों के अनुसार,

सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है-सी. ओ. सी. का निर्णय

' सीमित आधारों को छोड़कर 'व्यावसायिक ज्ञान' गैर-न्यायसंगत है।

चुनौती यू/एस एस के लिए। 30 (2) या 61 (3)।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

1.1 प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. को इस बात की बहुत जानकारी थी कि सी. ओ. सी. ने 12 फरवरी तक कार्यवाही को अंतिम रूप देने का फैसला किया है।

2020. यह भी स्पष्ट है कि हालांकि पी. पी. आई. पी. एल. को पहली बार सी. ओ. सी. द्वारा बोली राशि बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया था। एक ही। इसने अंक के आधार का खुलासा करने पर जोर दिया। 11 फरवरी, 2020 को दोपहर के भोजन के बाद सी. ओ. सी. की 5 वीं बैठक की कार्यवाही में, हालांकि अपीलार्थी ने अपनी बोली को बढ़ा दिया था।

Rs.63 करोड़ से Rs.64 करोड़, पी. पी. आई. पी. एल. का प्रतिनिधि

आई. बी. सी. की समयसीमा और अगले दिन तक मामले को समाप्त करना होगा। अगले दिन, यानी 12 फरवरी, 2020 को, जब सी. ओ. सी. की स्थगित कार्यवाही आयोजित की गई, तो प्रतिवादी नं. 1-पी. पी. आई. पी. एल. ने एक ईमेल भेजा था, जिसमें कहा गया था कि उसकी कंपनी के निदेशक उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और

बैठक को एक या दो दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया। उपस्थित सभी संभावित समाधान आवेदकों के आग्रह पर, सी. ओ. सी. ने स्पष्ट किया कि चूंकि समय सीमा समाप्त हो रही थी, इसलिए उसने संभावित समाधान आवेदकों को बाहर करने का निर्णय लिया था जो उक्त बैठक में उपस्थित नहीं थे। उक्त बैठक में, अपीलार्थी को उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया जब उसने अपनी और श्री के बीच आयोजित खुली बोली में अपनी बोली में सुधार किया।

' एए '। अपीलार्थी की समाधान योजना को मंजूरी दी गई

सर्वसम्मति से इलाहाबाद बैंक के पास 68.34% मतदान अधिकार हैं और निगम बैंक के पास 31.66% मतदान अधिकार हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. ने पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम किया था। सभी संभावित समाधान आवेदकों को समान अवसर प्रदान किया गया था। हालाँकि, प्रत्यर्थी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. ने अपनी बोली राशि में सुधार किए बिना, अधिक समय के लिए जोर दिया, जिसे सी. ओ. सी. द्वारा विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। [पारस 25-27] [1019-D-H; 1020-A-B]

1.2 आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत थी। सी. ओ. सी. एन. जी. ए. आई. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. ए. टी. एल. ए.

पन प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस।

यह कहा जा सकता है कि सी. ओ. सी. का निर्णय, पी. पी. आई. पी. एल. को अपनी संशोधित बोली जमा करने और अंतिम रूप देने के लिए कोई और समय नहीं देने का है। 12 फरवरी, 2020 को ही समाधान योजना को 'भौतिक अनियमितता' शब्द की श्रेणी में आने वाला कहा जा सकता है।

[पैरा 29] [1020-डी]

1.3 ' सी. ओ. सी. के व्यावसायिक ज्ञान को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

आई. बी. सी. द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रियाओं को पूरा करना। यह लगातार माना गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) आई. बी. सी. की धारा 30 (2) या धारा 61 (3) में निर्दिष्ट कारक के अलावा किसी अन्य कारक को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उचित विचार-विमर्श के बाद सी. ओ. सी. द्वारा व्यक्त राय मतदान के माध्यम से बैठकों में, मतदान शेयरों के अनुसार, सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है और सी. ओ. सी. के 'वाणिज्यिक ज्ञान' का निर्णय सीमित आधारों को छोड़कर गैर-न्यायसंगत है।

आई. बी. सी. की धारा 30 (2) या धारा 61 (3) के तहत चुनौती के लिए उपलब्ध हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई. बी. सी. की धारा 61 (3) (ii) के तहत एक अपील मान्य होगी यदि आई. बी. सी. में भौतिक अनियमितता हुई है।

अनियमितता ', आरपी के साथ-साथ सीओसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई' अनियमितता 'नहीं हुई है। इसके विपरीत, यदि सी. ओ. सी. ने पी. पी. आई. पी. एल. को इसमें भाग लेने की अनुमति दी होती प्रक्रिया, इसके बावजूद कि यह अन्य तीन संभावित लोगों को आश्वस्त करती है

समाधान आवेदकों ने 1 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में कहा कि अनुपस्थित संभावित समाधान आवेदक (पी. पी. आई. पी. एल.) को भागीदारी से बाहर रखा जाएगा, इसे अपनाई गई प्रक्रिया में अनियमितता कहा जा सकता था। द डोमिनेंट

आई. बी. सी. का उद्देश्य निगमित ऋणदाता को पुनर्जीवित करना और इसे एक निरंतर चिंता का विषय बनाना है। वर्तमान मामले में, उक्त उद्देश्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि वित्तीय के सभी बकाया लेनदारों, अर्थात इलाहाबाद बैंक और निगम बैंक को पहले ही भुगतान किया जा चुका है, और निगमित ऋणदाता, जिसके संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की गई थी, अब एक चालू चिंता का विषय है। एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. ओ. सी., [2021] 9 एस. सी. के निर्णय में हस्तक्षेप करने में घोर गलती की।

जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और [अनुच्छेद 31,32,34,37 और 38] [1020-एफ-एच; 1021-ए, डी-ई; 1022-आई जी-एच; 1023-ए-बी] के रूप में निर्धारित किया जाता है।

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य

(2019) 12 एससीसी 150 [2019] 3 एससीआर 845; की समिति

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता v. सतीश कुमार गुप्ता और अन्य

(2020) 8 एससीसी 531: [2019] 16 एस. सी. आर. 275; महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड बनाम पद्मनाभन वेंकटेश और अन्य

(2020) 11 एससीसी 467: [2020] 2 एस. सी. आर. 1157; कल्पराज

धर्मशी और एक अन्य वी। कोटक निवेश सलाहकार

लिमिटेड और अन्य (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 204;

घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से v. एडलवाइस परिसंपत्ति

निदेशक के माध्यम से पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड

& ओआरएस। (2021) 9 एस. सी. सी. 657; केशरदेव चामरिया बनाम।

राधा किसेन चामरिया और अन्य [1953] 4 एस. सी. आर. 136 -

पर भरोसा किया।

प्रताप टेक्नोक्रेटस (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम। निगरानी

रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड की समिति और एक अन्य 2021

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 569-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एससीआर 845

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[2019] 16 एससीआर 275

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[2020] 2 एससीआर 1157

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[1953] 4 एससीआर 136

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.3

3666 2020 से।

नाटी के 19.10.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने कंपनी अपील ((दिवाला) Nos.515 और 2020 की 516 में।

के साथ

2020 की सिविल अपील Nos.3742-3743।

एन. जी. ए. टी. एल. ए. एन. जी. धार बनाम पन प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अरविंद कुमार गुप्ता, रवींद्र दयानंद चिंगले, सुश्री अनिंदिता पुजारी, अभिजीत सिन्हा, शौनक मित्रा, अविक

चौधरी, सौम्या दत्ता, राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, निपुण शर्मा, रवि सोलंकी, सुश्री एकता चौधरी, चकसु ठकराल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

2. ये अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद) द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर हमला करती हैं। कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) सं. में दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 को "एन. सी. एल. ए. टी". के रूप में संदर्भित। 515 2020 और 2020 का 516, जिससे प्रतिवादी संख्या 1-पन्ना प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "पी. पी. आई. पी. एल". के रूप में संदर्भित) और प्रतिवादी संख्या 2-अरिहंत इंटरनेशनल लिमिटेड की अपीलों को अनुमति दी गई।

3. 2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.515 दायर की गई थी

पी. पी. आई. पी. एल. द्वारा दायर सीपी (आई. बी.) No.13/जी. बी./2019 में 2020 के आई. ए. No.27 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ, गुवाहाटी द्वारा पारित 18 मार्च, 2020 के आदेश (इसके बाद "एन. सी. एल. टी". के रूप में संदर्भित) और एक अन्य, जिसके द्वारा निर्देश की मांग करने वाला आवेदन

समाधान पेशेवर (इसके बाद "आरपी" के रूप में संदर्भित) को रिकॉर्ड में लेने और 14 फरवरी, 2020 को ईमेल द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने संशोधित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, अस्वीकार कर दिया गया।

आर. पी. द्वारा दायर असंख्या आई. ए., जिसके माध्यम से अपीलार्थी-नगैतलांग धार की (एच-1 बोलीदाता) समाधान योजना को एन. सी. एल. टी. द्वारा अनुमोदित किया गया।

5. 19 अक्टूबर, 2020 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से, एन. सी. एल. ए. टी. ने 18 मार्च, 2020 के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया है और 18 मई, 2020 में उन्होंने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (जिसे इसके बाद "सी. आई. आर. पी". के रूप में संदर्भित किया गया है) को समाधान योजनाओं पर विचार के चरण से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।

6. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

7. सीपी (आईबी) संख्या 13/जीबी/2019 के रूप में एक आवेदन दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद) की धारा 7 के तहत दायर किया गया। मेघालय इन्फ्राटेक लिमिटेड (इसके बाद "कॉर्पोरेट देनदार" के रूप में संदर्भित) के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए "आई. बी. सी". के रूप में संदर्भित

इलाहाबाद बैंक (अब भारतीय बैंक के रूप में जाना जाता है) (इसके बाद "इलाहाबाद बैंक" के रूप में जाना जाता है)। एन. सी. एल. टी. ने 28 अगस्त, 2019 के आदेश के माध्यम से याचिका को स्वीकार कर लिया और इस तरह, कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में सी. आई. आर. पी. शुरू की गई और श्री अमित पारीक ने इसे स्वीकार कर लिया।

अंतरिम आर. पी. के रूप में नियुक्त किए गए, जिन्हें बाद में 25 सितंबर, 2019 को आयोजित लेनदारों की पहली समिति (जिसे इसके बाद सी. ओ. सी. के रूप में संदर्भित किया गया) की बैठक में आर. पी. के रूप में पुष्टि की गई।

8. यह विवाद में नहीं है कि इलाहाबाद बैंक और निगम बैंक (जिसे अब यूनियन बैंक के रूप में जाना जाता है) (जिसे इसके बाद " निगम बैंक ") एकमात्र वित्तीय लेनदार थे।

9. आई. बी. सी. के प्रावधानों के अनुसार,

आर. पी. द्वारा संभावित समाधान आवेदकों से ब्याज (इसके बाद "ई. ओ. आई". के रूप में संदर्भित) आमंत्रित किया गया था।

10. अपीलार्थी-नगैतलांग धर, प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल., श्री अभिषेक अग्रवाल और श्री आशीष जैससारिया ने अपना ई. ओ. आई. प्रस्तुत किया। सभी

चार समाधान आवेदकों ने अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत कीं। 1 फरवरी, 2020 को आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक में अपीलकर्ता-नगैतलांग धर एच-1 बोलीदाता के रूप में उभरे, जबकि श्री अभिषेक अग्रवाल एच-2 बोलीदाता के रूप में उभरे।

11. 6 मार्च, 2020 को आयोजित 7 वीं सी. ओ. सी. बैठक में सी. ओ. सी. ने 100% मतदान हिस्सेदारी के साथ अपीलार्थी की समाधान योजना को मंजूरी दी।

12. प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. ने तर्क दिया कि 1 फरवरी, 2020 को आयोजित सी. ओ. सी. के समक्ष कार्यवाही में, उसने एक या अपनी संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय, और तदनुसार, इसने 14 फरवरी, 2020 को इसे प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. ने तदनुसार, एन. सी. एल. टी. के समक्ष सी. पी. (आई. बी.) No.13/जी. बी./2019 में 2020 की आई. ए. संख्या 27 दाखिल की, जिसमें आर. पी. को 14 फरवरी, 2020 की अपनी संशोधित समाधान योजना को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देने की मांग की गई। इसे एन. सी. एल. टी. द्वारा 18 मार्च, 2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

इसके बाद आर. पी. एन. जी. ए. आई. टी. एल. ए. एन. जी. आर. वी. पन प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। [बी. आर. गवई, जे.]

समाधान योजना के अनुमोदन के लिए एक असंख्या आई. ए. दायर किया गया अपीलार्थी-न्गैतलांग धर (एच-1 बोलीदाता) द्वारा प्रस्तुत। उक्त असंख्या आई. ए. को एन. सी. एल. टी. द्वारा 18 मई, 2020 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। इन दोनों आदेशों को प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. द्वारा उपरोक्त कंपनी अपील के माध्यम से एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी गई। जैसा कि ऊपर कहा गया है, 19 अक्टूबर, 2020 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा, अपीलों को अनुमति दी गई थी। इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपीलें इस न्यायालय के समक्ष दायर की जाती हैं।

13. हमने सुना है कि अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी-न्गैतलांग धर, सफल समाधान आवेदक (एच-1 बोलीदाता) और श्री अभिजीत सिन्हा, प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील।

14. श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो उनकी ओर से पेश हुए

न्गैतलांग धर के सफल समाधान आवेदक (एच-1 बोलीदाता) ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय और आदेश में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा अपनाया गया पूरा दृष्टिकोण गलत था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. ए. टी. को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि सी. ओ. सी. ने इसका प्रयोग करने के बाद

' वाणिज्यिक ज्ञान ने नगैतलांग धर द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को स्वीकार करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आर. पी. ने सभी बोलीदाताओं/समाधान आवेदकों को समान अवसर दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि सभी प्रस्तावों को पर्याप्त अवसर दिया गया था

आवेदकों ने कई मौकों पर सी. ओ. सी. की बैठकों में कार्यवाही स्थगित करके, प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. अपनी बोली को संशोधित करने में विफल रहा।

निर्धारित अवधि। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सी. ओ. सी. ने 1 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में नगैतलांग धर को सफल समाधान आवेदक घोषित करने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इसके बाद एन. सी. एल. टी. ने आर. पी. द्वारा दायर आवेदन को भी मंजूरी दी थी। नगैतलांग धार की समाधान योजना।

15. श्री रोहतगी ने कहा कि 12 फरवरी, 2020 के बाद ही प्रतिवादी नंबर 1-पी. पी. आई. पी. एल. ने 14 फरवरी, 2020 को एक ईमेल भेजा था।

आरपी के लिए, अपने प्रस्ताव को संशोधित कर रु। 65.65 करोड़। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. द्वारा दिया गया प्रारंभिक प्रस्ताव केवल Rs.24 करोड़ का अग्रिम भुगतान करने का था, तो यह स्पष्ट है कि रु. 65.65 करोड़ केवल कार्यवाही को आगे बढ़ाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से था। उन्होंने कहा कि एन. सी. एल. ए. टी. को सी. ओ. सी. के 'व्यावसायिक ज्ञान' में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इस संबंध में, वह इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर निर्भर करता है।

16. श्री रोहतगी ने आगे कहा कि समाधान योजना

नगैतलांग धार अब लागू हो गया है, क्योंकि सभी बैंकों (वित्तीय लेनदारों) के बकाया का भुगतान कर दिया गया है और अब कॉर्पोरेट देनदार, यानी मेघालय इंफ्राटेक लिमिटेड एक चालू चिंता है।

17. श्री अभिजीत सिन्हा, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. प्रस्तुत करेगा कि सी. ओ. सी. के निर्णय और उस निर्णय पर पहुंचने के लिए आर. पी. और सी. ओ. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के बीच अंतर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि सी. ओ. सी. का अंतिम निर्णय इस आधार पर चुनौती का विषय नहीं हो सकता है कि सी. ओ. सी. के 'व्यावसायिक ज्ञान' में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी यदि आर. पी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भौतिक अनियमितता है, तो

आई. बी. सी. की धारा 61 (3) के तहत अपील मान्य होगी। उन्होंने कहा कि आर. पी. ने वर्तमान मामले में अनुचित जल्दबाजी के साथ काम किया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 11-12 फरवरी, 2020 को आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक की कार्यवाही में पी. पी. आई. पी. एल. के निदेशक ने अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक या दो दिन का समय मांगा था। उन्होंने कहा कि हालांकि, उक्त समय नहीं दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि संशोधित प्रस्ताव दो दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया था और यह आर. पी. का कर्तव्य था कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

सी. ओ. सी. के समक्ष संशोधित प्रस्ताव। ऐसा नहीं करने और नगैतलांग धर की योजना को जल्दबाजी में मंजूरी देने के बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. ओ. सी. के फैसले में हस्तक्षेप किया है। इस संबंध में, वह निर्णय पर निर्भर करता है

प्रताप टेक्नोक्रेटस (पी) लिमिटेड और अन्य के मामले में इस न्यायालय का बनाम। रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड की निगरानी समिति और अन्य 1.

18. श्री सिन्हा ने आगे कहा कि जब स्वयं एन. सी. एल. टी. ने

सी. आई. आर. पी. की अवधि 180 दिनों से आगे 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

26 फरवरी, 2020 के आदेश में कहा गया था कि आर. पी. द्वारा नगैतलांग धर की बोली को जल्दबाजी में स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था।

19. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

-

बैंक (वित्तीय लेनदार) भी नगैतलांग धर की ओर से पेश विद्वान वकील की दलीलों का समर्थन करते हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि बैंकों को उनका पूरा भुगतान प्राप्त हो गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पी. पी. आई. पी. एल. द्वारा 14 फरवरी, 2020 को भेजे गए ईमेल का इलाहाबाद बैंक के साथ-साथ निगम बैंक को भी समर्थन किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोनों बैंकों ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि ऐसा प्रस्ताव कानून में मान्य नहीं था।

20. वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं।

1 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 569 एन. जी. ए. आई. टी. एल. ए. एन. जी. डी. एच. ए. आर. बनाम।

पन प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। [बी. आर. गवई, जे.]

22. अंतरिम आर. पी. ने आई. बी. सी. की धारा 15 के अनुपालन में सार्वजनिक घोषणा करते हुए ऋणदाताओं से दावे करने का आह्वान किया। कॉर्पोरेट देनदार। लेनदारों से दावे प्राप्त होने पर, 17 सितंबर, 2019 को सी. ओ. सी. का गठन किया गया। इसके बाद, पहले

25 सितंबर, 2019 को आयोजित सी. ओ. सी. की बैठक में अंतरिम आर. पी. को आर. पी. के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, आर. पी. ने संभावित समाधान आवेदकों से ई. ओ. आई. आमंत्रित किया। चार ई. ओ. आई. (ए) पी. पी. आई. पी. एल. और अन्य; (बी) श्री नगैतलांग धर; (सी) श्री अभिषेक अग्रवाल; और (डी) श्री आशीष जैससरिया और अन्य से प्राप्त हुए। समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची प्रकाशित की गई और अनंतिम सूची पर आपत्तियां 25 दिसंबर, 2019 तक आमंत्रित की गईं। चूंकि किसी भी संभावित समाधान आवेदक के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए संभावित समाधान आवेदकों की एक अंतिम सूची सी. ओ. सी. के समक्ष रखी गई थी। मूल्यांकन। इसके बाद, सभी समाधान आवेदकों को 24 जनवरी, 2020 तक अपनी-अपनी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके जवाब में, चार संभावित समाधान आवेदकों से चार समाधान योजनाएं प्राप्त हुईं।

23. सी. ओ. सी. की पांचवीं बैठक 11 फरवरी, 2020 को हुई थी। उक्त बैठक के कार्यवृत्त, विशेष रूप से एजेंडा संख्या 6, से पता चलेगा

कि आर. पी. ने सी. ओ. सी. को सूचित किया कि पी. पी. आई. पी. एल. की समाधान योजना में कई विसंगतियां और कमियां देखी गईं और वही

समाधान आवेदक को 30 जनवरी, 2020 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसमें इसे सुधारने/सही करने और 1 फरवरी, 2020 तक जमा करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, पी. पी. आई. पी. एल. निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहा था। यह आगे खुलासा करेगा कि 1 फरवरी, 2020 को पी. पी. आई. पी. एल. से एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें समय देने का अनुरोध किया गया था।

3 फरवरी, 2020 तक संशोधित समाधान योजना प्रस्तुत करना। तदनुसार, पी. पी. आई. पी. एल. द्वारा 3 फरवरी को संशोधित समाधान योजना दाखिल की गई। 2020. उक्त बैठक में, सी. ओ. सी. ने सभी चार संभावित समाधान आवेदकों की समाधान योजनाओं का मूल्यांकन किया। अनुच्छेद 5

पी. पी. आई. पी. एल. की प्रस्तावित समाधान योजना पर विचार इस प्रकार है:

" 5. सी. ओ. सी. ने पी. आर. ए. से अपनी बोली राशि में सुधार करने का अनुरोध किया जो पी. आर. ए. ने तब तक करने से इनकार कर दिया जब तक कि सभी के व्यक्तिगत स्कोर का आगे खुलासा नहीं किया जाता [2021] 9 एस. सी. आर.

बोली राशि बढ़ाने के लिए उसे आवेदक के बी. ओ. डी. के साथ चर्चा करनी होगी।

24. इससे यह भी पता चलता है कि सी. ओ. सी. ने लंच ब्रेक के बाद दूसरे दौर की बातचीत जारी रखी। 11 फरवरी, 2020 की सी. ओ. सी. की बैठक के कार्यवृत्त के निम्नलिखित अंश का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

" 2. सी. ओ. सी. ने पन्ना प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। लिमिटेड आगे की बातचीत के लिए। आर. पी. ने बताया कि बातचीत के पहले दौर में पी. आर. ए. ने अपनी बोली राशि को संशोधित नहीं किया है और सी. ओ. सी. को योजना के संक्षिप्त विवरण के बारे में सूचित किया है। पी. आर. ए. अंक के आधार के बारे में भी जानना चाहता है, आर. पी. एंड सी. ओ. सी. ने सी. आई. आर. पी. के इस परिपक्व चरण में बताया कि मूल्यांकन के बारे में चर्चा करने के लिए यह सही समय और स्थान नहीं है और यह भी बताया कि मूल्यांकन आर. एफ. आर. पी., आई. एम. और मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार किया गया है।

सभी पी. आर. ए. को नियत समय पर वितरित किया गया।

3. सीओसी एंड आरपी ने पीआरए को विसंगतियों के बारे में सूचित किया

उनके द्वारा प्रस्तुत की गई संशोधित समाधान योजना में कमी अभी भी बनी हुई है, इसके बावजूद कि उन्हें पहले अवसर दिया गया था

सुधार के लिए मूल समाधान योजना प्रस्तुत करना। पी. आर. ए. ने सुधार के लिए कुछ और समय देने और संशोधित योजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। पी. आर. ए. के आकस्मिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया।

4. सी. ओ. सी. ने बोली राशि को पी. आर. ए. में सुधारने का अनुरोध किया,

पी. आर. ए. का कहना है कि इस स्तर पर हम बोली राशि नहीं बढ़ाएंगे।

25. सी. ओ. सी. की 5 वीं बैठक के कार्यवृत्त से आगे पता चलेगा कि सी. ओ. सी. ने इसके बाद बोली की बातचीत के लिए नगैतलांग धर को आमंत्रित किया। और उनसे बोली राशि बढ़ाने का अनुरोध किया। नगैतलांग धर ने बोली राशि को Rs.63 करोड़ से Rs.64 करोड़ तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद, पी. पी. आई. पी. एल. के प्रतिनिधि फिर से लौट आए और बैठक को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। उक्त अनुरोध को सी. ओ. सी. द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था जिसमें पी. पी. आई. पी. एल. के प्रतिनिधि को सूचित किया गया था कि वे आई. बी. सी. समय-सीमा का पालन करने के लिए बाध्य हैं और अगले दिन तक मामले को समाप्त करना चाहते हैं। सी. ओ. सी. की उक्त 5 वीं बैठक अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई और 12 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई। उक्त बैठक के कार्यवृत्त से यह भी पता चलता है कि पी. पी. आई. पी. एल. के प्रतिनिधि ने सी. ओ. सी./आर. पी. को सूचित किया था कि उनकी कंपनी के निदेशक 12 फरवरी, 2020 को होने वाली बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और बैठक एन. जी. ए. आई. टी. एल. ए. एन. जी. ए. आर. वी. होनी चाहिए।

पन प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। [बी. आर. गवई, जे.]

एक या दो दिन के लिए स्थगित। बैठक के कार्यवृत्त से आगे पता चलेगा कि बैठक में उपस्थित सभी संभावित समाधान आवेदकों ने सी. ओ. सी. सदस्यों और आर. पी. से समाधान आवेदक की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा, जो बैठक में अनुपस्थित थे, कि क्या उन्हें आगे की बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। सी. ओ. सी. सदस्यों ने विशेष रूप से जवाब दिया कि चूंकि वे समय सीमा के करीब थे (यानी 24 फरवरी, 2020 को 180 दिन पूरे होने वाले थे), इसलिए प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. को बाहर करने का निर्णय लिया गया, जो उक्त बैठक में उपस्थित नहीं थे। दोपहर के भोजन के बाद कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें केवल दो संभावित समाधान आवेदक, अर्थात् नगैतलांग धर और श्री अभिषेक अग्रवाल उपस्थित थे। इसके बाद, सी. ओ. सी. ने स्विस चैलेंज ओपन बिडिंग विधि को अपनाया। उक्त बोली प्रक्रिया में, उपस्थित दोनों संभावित समाधान आवेदकों ने अपने प्रस्ताव को बढ़ा दिया। दोनों संभावित संकल्पों के बीच उक्त खुली बोली प्रक्रिया में

उपस्थित आवेदक, नगैतलांग धर को सबसे अधिक बोली लगाने वाला पाया गया।

संभावित समाधान आवेदक ने रुपये की अग्रिम राशि की बोली की पेशकश की है। 64.30 करोड़ प्लस सी. आई. आर. पी. लागत। नगैतलांग धार की उक्त समाधान योजना को इलाहाबाद बैंक द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी, जिसके पास 68.34% मतदान अधिकार थे और निगम बैंक के पास 31.66% मतदान अधिकार थे।

26. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1-पी. पी. आई. पी. एल. बहुत स्पष्ट था।

यह जानते हुए कि सी. ओ. सी. ने 12 फरवरी, 2020 तक कार्यवाही को अंतिम रूप देने का फैसला किया है। यह भी स्पष्ट है कि हालांकि पी. पी. आई. पी. एल. को पहली बार सी. ओ. सी. द्वारा बोली राशि बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने विशेष रूप से इसे अस्वीकार कर दिया था। इसने अंक के आधार का खुलासा करने पर जोर दिया। 11 फरवरी, 2020 को दोपहर के भोजन के बाद सी. ओ. सी. की 5 वीं बैठक की कार्यवाही में, हालांकि नगैतलांग धर ने अपनी बोली को Rs.63 करोड़ से बढ़ाकर Rs.64 करोड़ कर दिया था, पी. पी. आई. पी. एल. के प्रतिनिधि बाद में आए और बैठक को कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया। उक्त अनुरोध को सी. ओ. सी. द्वारा पी. पी. आई. पी. एल. के प्रतिनिधि को सूचित करके विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था कि यह

एक ईमेल भेजा, जिसमें कहा गया था कि उसकी कंपनी के निदेशक उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और बैठक को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था एक या दो दिन में। उपस्थित सभी संभावित समाधान आवेदकों के आग्रह पर, सी. ओ. सी. ने स्पष्ट किया कि चूंकि समय सीमा समाप्त हो रही थी, इसलिए उसने उन संभावित समाधान आवेदकों को बाहर करने का निर्णय लिया था जो उक्त बैठक में उपस्थित नहीं थे। उक्त बैठक में, नगैतलांग [2021] 9 एस. सी. आर.

अपने और श्री अभिषेक अग्रवाल के बीच आयोजित खुली बोली में अपनी बोली में सुधार करने के बाद धर को सबसे अधिक बोली लगाने वाला घोषित किया गया।

27. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. ने पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम किया था। एक समान अवसर दिया गया था

सभी संभावित समाधान आवेदक। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 पी. पी. आई. पी. एल. ने अपनी बोली राशि में सुधार किए बिना, अधिक समय के लिए जोर दिया, जिसे सी. ओ. सी. द्वारा विशेष रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

28. विद्वान वकील श्री अभिजीत सिन्हा निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि हालांकि सीओसी के अंतिम निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि

सी. ओ. सी. के 'वाणिज्यिक ज्ञान' में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, यह केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जिसे चुनौती दी जा सकती है यदि उक्त कार्यवाही में कोई भौतिक अनियमितता है।

29. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, हम पाते हैं कि आर. पी. के साथ-साथ सी. ओ. सी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत थी। सी. ओ. सी. को समय सीमा का सामना करना पड़ रहा था, जो 24 फरवरी, 2020 को समाप्त होनी थी, जिससे पहले उसे अपने निर्णय को अंतिम रूप देना था। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि सी. ओ. सी. का आगे कोई मंजूरी नहीं देने का निर्णय

पी. पी. आई. पी. एल. को अपनी संशोधित बोली प्रस्तुत करने और 12 फरवरी, 2020 को ही समाधान योजना को अंतिम रूप देने का समय 'भौतिक अनियमितता' शब्द की श्रेणी में आने वाला कहा जा सकता है।

31. यह सामान्य कानून है कि सी. ओ. सी. के 'वाणिज्यिक ज्ञान' को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई. बी. सी. द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रियाओं को पूरा करना। यह लगातार माना गया है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) या अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) आई. बी. सी. की धारा 30 (2) या धारा 61 (3) में निर्दिष्ट कारक के अलावा किसी अन्य कारक को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सी. ओ. सी. द्वारा मतदान के माध्यम से बैठकों में उचित विचार-विमर्श के बाद व्यक्त की गई राय, मतदान शेयरों के अनुसार, सामूहिक व्यावसायिक निर्णय है और सी. ओ. सी. के 'वाणिज्यिक ज्ञान' का निर्णय गैर-न्यायसंगत है, सिवाय एन. जी. ए. आई. टी. एल. ए. एन. जी. धार बनाम.

पन प्रगति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। [बी. आर. गवई, जे.]

आई. बी. सी. की धारा 30 (2) या धारा 61 (3) के तहत चुनौती के लिए उपलब्ध सीमित आधारों पर। इस न्यायालय के कई निर्णयों में कानून की इस स्थिति को लगातार दोहराया गया है, जिसमें शामिल हैं:

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य 2

((i)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के लेनदारों की समिति v. सतीश कुमार गुप्ता

और अन्य 3,

(iii) महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड v. पद्मनाभ

वेंकटेश और अन्य,

((iv) कल्पराज धर्मशी और एक अन्य बनाम। कोटक निवेश

एडवाइजर्स लिमिटेड और अन्य।

घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड

(v)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से। निदेशक के माध्यम से एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

& Ors.6

32. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई. बी. सी. की धारा 61 (3) (ii) के तहत एक अपील

यदि निगमित दिवाला समाधान अवधि के दौरान आर. पी. द्वारा शक्तियों के प्रयोग में भौतिक अनियमितता हुई है तो यह मान्य होगा।

हालाँकि, जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, हम कोई भौतिक अनियमितता नहीं पाते हैं।

और अन्य 'शब्दों के दायरे पर विचार करते हुए' सामग्री 'अनियमितता', जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 में पाया गया है:

" नारायण सोनाजी बनाम में अपने संदर्भ क्रम में जे. बोस की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। शेषराव
विठोबा [ए. आई. आर. 1948 नाग 258] जिसमें यह कहा गया था कि "अवैध रूप से" और "भौतिक अनियमितता" शब्द तथ्य या कानून की त्रुटियों को शामिल नहीं करते हैं। वे उस निर्णय का उल्लेख नहीं करते हैं जिस पर वे आए थे, लेकिन

2 (2019) 12 एससीसी 150

3 (2020) 8 एस. सी. सी. 531

4 (2020) 11 एस. सी. सी. 467

5 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 204 6 (2021) 9 एस. सी. सी. 657

7 (1953) 4 एससीआर 136 [2021] 9 एस. सी. आर.

जिस तरह से यह पहुँचा जाता है। जिन त्रुटियों पर विचार किया गया है वे प्रक्रिया के भौतिक दोषों से संबंधित हैं न कि उन औपचारिकताओं के बाद कानून या तथ्य की त्रुटियों से जो कानून निर्धारित करता है।

मान लिया "।

34. वर्तमान मामले में, कोई भी 'भौतिक अनियमितता' होने के कारण, आरपी के साथ-साथ सीओसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई 'अनियमितता' नहीं हुई है। इसके विपरीत, यदि सी. ओ. सी. ने पी. पी. आई. पी. एल. को इस प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी होती, जबकि उसने 11-12 फरवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य तीन संभावित समाधान आवेदकों को आश्वासन दिया था कि अनुपस्थित संभावित समाधान आवेदक (पी. पी. आई. पी. एल.) को भागीदारी से बाहर रखा जाएगा, तो इसे अपनाई गई प्रक्रिया में अनियमितता कहा जा सकता था।

35. विद्वान वकील, श्री अभिजीत सिन्हा के तर्क के अनुसार, एन. सी. एल. टी. ने पहले ही सी. आई. आर. पी. की अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया था।

26 फरवरी, 2020 के आदेश के अनुसार और इसलिए, 12 फरवरी, 2020 को नगैतलांग धार की समाधान योजना को जल्दबाजी में मंजूरी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि 180 दिनों की अवधि 24 फरवरी, 2020 को समाप्त होने वाली थी, और इसलिए, 12 फरवरी, 2020 की बैठक में ही, सी. ओ. सी. ने नगैतलांग धर को एच-1 बोलीदाता घोषित करने का संकल्प लेने के बाद एन. सी. एल. टी. के समक्ष सी. आई. आर. पी. अवधि बढ़ाने की मांग करने के लिए आर. पी. को अधिकृत करने का संकल्प लिया था।

36. एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित 26 फरवरी, 2020 के आदेश के पैराग्राफ 2 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

" 2. आर. पी. का यह निवेदन है कि सी. ओ. सी. ने अपनी 5 वीं बैठक में श्री एन. धर को सर्वोच्च बोलीदाता घोषित किया और सी. ओ. सी. का उक्त निर्णय सी. ओ. सी. के उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए विचाराधीन है और इसलिए सी. आई. आर. पी. की अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

37. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस संबंध में विवाद भी आधारहीन है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में लगातार कहा गया है,

आई. बी. सी. का प्रमुख उद्देश्य निगमित ऋणदाता को पुनर्जीवित करना और इसे एक निरंतर चिंता का विषय बनाना है। वर्तमान मामले में, उक्त उद्देश्य पहले ही प्राप्त हो चुका है, क्योंकि वित्तीय लेनदारों, यानी इलाहाबाद बैंक और निगम बैंक के सभी बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, एन. जी. ए. आई. टी. एल. ए. एन. जी. ए. आर. बनाम.

38. इसलिए, हमारा विचार है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने सी. ओ. सी. के निर्णय में हस्तक्षेप करने में घोर गलती की, जिसे एन. सी. एल. टी. द्वारा वैध रूप से अनुमोदित किया गया था। इसलिए, अपीलों की अनुमति दी जाती है। एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर को पारित निर्णय और आदेश,020 रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। सभी अंतिम आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

इव्या पांडे